# न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

## विविध बैंक प्रकरण संख्या 141 / 2023(GCMS : 2023/289)

**आवास फाईनेंसर्स लिमिटेड,** पंजीकृत कार्यालय 201–202 द्वितीय तल, साउथ एण्ड सकेव्यर, मानसरोवर इण्डिस्ट्रीयल ऐरिया जयपुर व स्थानीय शाखा कार्यालय शाफप नं. 1 व 2, द्वितीय तल, शक्ति मार्ग राजस्थान पत्रिका कार्यालय के पास, सूरतगढ रोड़ श्रीगंगानगर।

**बनाम**

1. **चन्द्र प्रकाश** पुत्र श्री सोहनलाल निवासी वार्ड नं. 2, भोमाजी के मंदिर के पास, सोमासर, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर पिन–335804–मूल ऋणी।
2. **श्रीमती बाधु देवी** पत्नी श्री सोहनलाल निवासी वार्ड नं. 2, सोमासर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर पिन–335804–सह ऋणी।
3. **श्री महावीर प्रसाद** पुत्र श्री सोहनलाल निवासी सोमासर, तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर–सह ऋणी।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.11.2023

**पत्रावली पेश हुई।** प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री राजीव मेहन्दीरता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण चन्द्र प्रकाश, बाधु देवी, महावीर प्रसाद को ऋण सुविधा के रूप में राशि 7,01,000/–लाख रूपये (अखरे सात लाख एक हजार मात्र) के ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 25.10.2019 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी श्रीमती बाधु देवी द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 6, बुक नं. 29, गावं सोमासर, पंचायत समिति, सूरतगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल–पूर्व की ओर 100 फीट, पश्चिम की ओर 100 फीट, उतर की ओर 74 फीट, दक्षिण की ओर 66 फीट जिसका आसापासा–पूर्व में इन्द्राज की सम्पति, पश्चिम में सड़क, उतर में सड़क, दक्षिण में राकेश की सम्पति है** का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

**मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14,** शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण चन्द्रप्रकाश, श्रीमती बाधु देवी, महावीर प्रसाद को ऋण सुविधा के रूप में 7,01,000**/–लाख रूपये (अखरे सात लाख एक हजार मात्र) **की राशि की स्वीकृति दिनांक 25.10.2019 को प्रदान की थी।** ऋण की सुरक्षा की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:46:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

एवज में अप्रार्थी श्रीमती बाधु देवी **द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 6, बुक नं. 29, गावं सोमासर, पंचायत समिति, सूरतगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल—पूर्व की ओर 100 फीट, पश्चिम की ओर 100 फीट, उतर की ओर 74 फीट, दक्षिण की ओर 66 फीट जिसका आसापासा—पूर्व में इन्द्राज की सम्पति, पश्चिम में सड़क, उतर में सड़क, दक्षिण में राकेश की सम्पति है,** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 11.05.2023 **को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.)** हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा **13(2) के नोटिस दिनांक 17.05.2023** को जारी कर दिनांक 20.05.2023 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये है। धारा 13(2) नोटिस अप्रार्थीगण को भिजवाने की पोस्ट ऑफिस रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है, **जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील हो चुकी है।**

**वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।**

**जहां तक ऋण की एवज** में बंधक रखी गई अप्रार्थी श्रीमती बाधु देवी की **अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 6, बुक नं.29, गावं सोमासर, पंचायत समिति, सूरतगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल—पूर्व की ओर 100 फीट, पश्चिम की ओर 100 फीट, उतर की ओर 74 फीट, दक्षिण की ओर 66 फीट जिसका आसापासा—पूर्व में इन्द्राज की सम्पति, पश्चिम में सड़क, उतर में सड़क, दक्षिण में राकेश की सम्पति है** प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है जो कि वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2023.12.08 17:46:19 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

**जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी** नोटिस की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 15.04.2023 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अप्रार्थीगण दिनांक 19.04.2023 को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाया गया है, **जिसके परिणामस्वरूप अप्रार्थीगण के धारा 13(2) नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक पत्रावली में उपलब्ध है,** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी बादू देवी के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

**अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी बैंक, ए यू स्मॉल फाईनैन्स बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र** वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी बादू/बाधु देवी **द्वारा प्रार्थी बैंक/कम्पनी से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई सम्पत्ति पट्टा नं. 6, बुक नं.29, गावं सोमासर, पंचायत समिति, सूरतगढ, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर क्षेत्रफल–पूर्व की ओर 100 फीट, पश्चिम की ओर 100 फीट, उतर की ओर 74 फीट, दक्षिण की ओर 66 फीट जिसका आसापासा–पूर्व में इन्द्राज की सम्पति, पश्चिम में सड़क, उतर में सड़क, दक्षिण में राकेश की सम्पति है, का भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक/कम्पनी को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Rath
Date: 2023.12.08 17:46:19 IST
Reason: SelfAttested

**यह आदेश आज दिनांक 22.11.2023 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।**

(अंशदीप)

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर